न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 111/2025(GCMS 2025/439)
(RTI No. 212648874674384)

श्री रविन्द्र कुमार गांव व डाकघर रेहान तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश – 176022

<u>नाम</u>

सहायक लोक सूचना अधिकारी **एवं तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>15.12.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रविन्द्र उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2025 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने सहायक लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि रविन्द्र ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2025 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

1.	मेरी शिकायत के अनुसार राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मुरब्बा संख्या 237/40 चक 12 अब अनूपगढ़ से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ ने अपने पत्रांक आरटीआई/2025/336 दिनांक 04.12.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि [illegible] द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री रविन्द्र द्वारा किये गये आवेदन में निम्न सूचना चाही गई थी :

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:55:00 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 111/ 2025
(GCMS No. 2025/439)
(RTI No. : 21264887467438)

''आदरणीय एपीएसई से विनम्र निवेदन है कि ''मेरी शिकायत के अनुसार राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मुरब्बा संख्या 237/40 चक 12 अब अनूपगढ़ से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाऐ क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है।''

श्रीमान्जी प्रार्थी द्वारा उक्त रकबे से अवैध अतिक्रमण हटवाने सम्बन्धित कार्यवाही करने हेतु लिखा है न कि कार्यालय के अभिलेखों की प्रति चाही गई है। प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन प्रेषित आवेदन में किसी प्रकार के अभिलेख की प्रति नहीं चाही गई है, जिस कारणवश उक्त आवेदन निरस्त किया गया है।

हाल प्रार्थी द्वारा अपील का कारण अंकित किया गया है कि ''मुरब्बा नं. 234/40 चक 12 एबी अनूपगढ़ राजस्थान की वर्तमान स्थिति क्या ये मुरब्बा 6ए के तहत आता है, क्या ये राज रकबा है राजस्थान सरकार के अधीन है और इसपे क्या अवैध अतिक्रमण है या नहीं अगर है, तो किसका है, कृपया इस आवेदन को अस्वीकार करने का वैध कारण भी बताएं'' जो कि मूल आवेदन से भिन्न एवं प्रश्नात्मक है। उक्त अपील प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आता है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:55:00 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 111/2025
(GCMS No. 2025/439)
(RTI No. : 212648874679384)

<u>नही दिये जा सकते।</u> सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इसप्रकार तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ. जो जवाब दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:55:00 IST
Reason: SelfAttested